तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/8/19	वकील वादी उप०। साक्ष्य वादी हेतु मौका चाहा। मौका दिया गया। पत्रा० वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 6/9/19 को पेश हो।	
6-9-19	वकील वादी उप०। साक्ष्य में PW-1 माणकचन्द का शपथ पत्र पेश किया गया। जो शा० मि० किया गया। वकील वादी अब कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं। अतः साक्ष्य वादी बन्दकी जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 13/9/19 को पेश हो।	
13-9-19	वकील वादी उप०। वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रा० वास्ते आदेश हेतु दिनांक 18/9/19 को पेश हो।	
18/9/19	वकील वादी उप०। पत्रा० वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद वादी एकपक्षीय किया जाकर निर्णय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लेखित कराया जाकर शा० मि० किया गया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
79/दावा/2019	8.7.2019	18.09.2019

माणकचन्द पुत्र भंवर लाल कौम महाजन निवासी तालेडा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.....वादी

बनाम

सन्नी उर्फ भारत मीणा आ0 भंवर लाल मीणा निवासी चोकी का बालाजी खेडला तह0 तालेडा जिला बून्दी

...प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री भंवर सिंह हाडा
अधिवक्ता प्रतिवादीः–

– : : निर्णय : : –

वाद :– स्थायी निषेधाज्ञा

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है किः–

1. यह कि कृषि भूमि खतौनी संख्या नई 74 पुरानी 137, ख0सं0 447/293 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, ख0सं0 448/293 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल किता–2 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम लाम्बापीपल पटवार हल्का बल्लोप भू0 अभि0 नि0 क्षेत्र बल्लोप तह0 तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है जो वर्तमान जमाबन्दी संवत 2071–74 में वर्णित है जिसमें वादी रिकार्डेड खातेदार दर्ज है जिसका नक्शा परिशिष्ट 'अ' है।
2. यह कि वादी चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि पर रिकार्डेड खातेदार दर्ज है एवं वादी ही कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने उक्त भूमि को काफी पैसे लगाकर उपभोग करने योग्य बनाया एवं कृषि कार्य जर्ये ज्वारा काश्त अपना कब्जा बनाये हुये है।
3. यह कि चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रतिवादी का किसी भी प्रकार से कोई हक नही बनता है फिर भी प्रतिवादी अपनी हेसियत एवं दबदबे का इस्तेमाल कर उक्त कृषि भूमि पर दिशा उत्तर–पूर्व से जबरदस्ती रास्ता निकालने में आमादा है। प्रतिवादी का किसी भी प्रकार से वादी की कृषि भूमि से कोई संबंध नही है न ही प्रतिवादी का सुखादीकार वादी प्रभावित कर रहा है।
4. यह कि प्रतिवादी अपनी हेसीयत एवं दबदबे का इस्तेमाल एवं दादागिरी के बल पर वादी रिकार्डेड खातेदारी की कृषि भूमि से दिशा उत्तर–पूर्व पर जबरन रास्ता निकालने पर आमादा है एवं रात के अंधेरे में ही प्रतिवादी एवं उसके प्रभाव के व्यक्ति उक्त कृषि भूमि पर जे.सी.बी. चलवाने पर आमादा है। जिसकी तहरीर रिपोर्ट वादी द्वारा एस.एच.ओ. तालेडा को भी दी गई परन्तु प्रतिवादी के प्रभाव के चलते उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।
5. यह कि वाद चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि का रिकार्डेड खातेदार है एवं प्रतिवादी को किसी भी रूप से उक्त भूमि पर कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी अवैध एवं गैर कानूनी रूप से उक्त भूमि पर रस्ता निकलवाना चाहता है ताकि प्रतिवादी एवं उसके भूमाफिया मित्रों का फायदा हो सके क्योंकि प्रतिवादी का भूमाफिओ से अच्छा सम्पर्क है यदि चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि पर रास्ता बन जाये तो इसके निचे आने वाली भूमियों के अच्छे दाम मिल सकते है। अतः प्रतिवादी अवैध एवं गैर कानूनी रूप से वादी कि भूमि रस्ता निकलवाना चाहता है।
6. यह कि वादी को यदि स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान नही किया गया तो वादी की क्षति होगी एवं प्रतिवादी को अवैध एवं गैर कानूनी कार्य करने का बढ़ावा मिलेगा यदि प्रतिवादी को रास्ता चाहिये था तो कानून सम्मत धारा 251क राज0टी0एक्ट0 के द्वारा माननीय न्यायालय में जाकर डिक्री प्राप्त करता

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

परन्तु प्रतिवादी के मन में बदनियति एवं लालच आ गया कि बिना अधिकारों के ही अपनी हेसियत एवं दबदबे का फायदा उठाकर अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

7. यह कि प्रतिवादी वादी को लगातार यह धमकी लगा रहा है कि चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि पर से तो मे रस्ता निकलवा के बताउगां एंव 17/06/2019 की मध्य रात्री में प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि पर जे. सी.बी. डलवा दी तभी से वाद कारण बना एवं लगातार बना हुआ है।
8. यह कि यदि प्रतिवादी को इस प्रकार कि स्थायी निषेधाज्ञा कि चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि से किसी प्रकार एवं किसी भी तरफ से रास्ता न निकालने से पाबन्द नहीं किया गया तो वादी को अत्याधिक क्षति होगी।
9. यह कि वादी प्रतिवादी के विरूद्ध अपने अधिकारों कि रक्षा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का माननीय न्यायालय से अधिकृी है। वादी प्रतिवादी के विरूद्ध इस प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रतिवादी को हस्तक्षेप को बन्द किया जाये।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे।

1. कृषि भूमि खतौनी संख्या नई 74 पुरानी 137 ख0सं0 447/293 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा ख0सं0 448/293 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल किता–2 कुल रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा में वादी उक्त कृषि भूमि पर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी को इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द किसी भी प्रकार से रास्ता न निकाले एवं अनुचित हस्तक्षेप न करें।
2. अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रदान की जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण की और से कोई जवाब दावा पेश नहीं करने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

साक्ष्य में वादी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 74 ग्राम लाम्बापीपल संवत् 2071–74 प्रदर्श–1, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम लाम्बापीपल प्रदर्श–2, नकल खसरा गिरिदावरी ग्राम लाम्बापीपल संवत् 2071–74 प्रदर्श–3, आंशिक नक्शाट्रेस पदर्श–4, स्वयं का शपथ पत्र की प्रतियॉ पेश की।

वादी वकील की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद पत्र निर्णय व डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी खाता सं0 74 ग्राम लाम्बापीपल संवत् 2071–74 प्रदर्श–1 में वाद वर्णित कृषि भूमि ख0सं0 447/293 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, ख0सं0 448/293 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा पर वादी रिकार्डेड खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा वादी का विवादित आराजीया में कब्जा काश्त है। प्रतिवादी के द्वारा किसी भी प्रकार से वादी की खातेदारी भूमि में रास्ता निकाला जाता है तो वादी को अपूरणीयक्षति होगी। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी का वाद वर्णित खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे, उपयोग, उपभोग में बाधा नहीं डाले उक्त कार्य न तो स्वयं करे न हीं अन्य से करवाये। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।
इजलास मोहम्मद ताहीर , आर0ए0एस0

माणकचन्द पुत्र भंवर लाल कौम महाजन निवासी तालेडा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.....वादी

बनाम

सन्नी उर्फ भारत मीणा आ0 भंवर लाल मीणा निवासी चोकी का बालाजी खेडला तह0 तालेडा जिला बून्दी

...प्रतिवादी

वाद :– स्थायी निषेधाज्ञा

79/दावा/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री भंवर सिंह हाडा एडवोकेट मिनजानिब मुदई ... मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी कि जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी का वाद वर्णित खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा नही करे, उपयोग, उपभोग में बाधा नहीं डाले उक्त कार्य न तो स्वयं करे न ही अन्य से करवाये।

नींज..... मुबलिक..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मींजान					

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 18 माह 09 वर्ष 2019 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी